तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बाजदायरी/एलआर/1543/2012/जयपुर जगन्नाथ वगैरहा बनाम श्योनारायण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री अरविन्द पारीक, अधिवक्ता, प्रार्थीगण श्री जी. बाढदार, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण **आदेश** **दिनांकः– 22–04–2019** हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को दिनांक 24–02–2012 को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र के संबंध में बहस सुनी। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मण्डल में विचाराधीन अपील संख्या 3263/2010 बउनवान जगन्नाथ बनाम श्योनारायण जो कि माननीय पूर्व एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–8–2011 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गई। उक्त अपील खारिज किए जाने के क्रम में उनका कहना है कि उक्त तिथि को उनके अधिवक्ता के पांच प्रकरण भिन्न–भिन्न कोर्ट में लगे हुए थे तथा जिनमें तारीख पेशी भी अलग–अलग थी। उनके अधिवक्ता ने आलोच्य प्रकरण में उनको पेशी दिनांक 27–1–2012 बतलाई तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकरण बहस हेतु क्रम में नीचे आने के कारण तथा पूर्व मिसल संलग्न होना कथित कर उनको पेशी पर उपस्थित होने हेतु मना किया था। अतः इस कारण पक्षकार निर्धारित पेशी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। यहीं नहीं उनकी अपील खारिज होने का ज्ञान भी उन्हें यथासमय नहीं हो सका। अतः दिनांक 24–8–2011 की भूल अथवा अदम हाजिरी में खारिज होना तथा पेशी दिनांक 27–1–2012 नोट हो जाना सब कुछ एक सद्विश्वासपूर्ण भूल है, जो कि क्षमा किए जाने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बाजदायरी/एलआर/1543/2012/जयपुर जगन्नाथ वगैरहा बनाम श्योनारायण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–8–2011 को निरस्त किया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लेते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र का विरोध कर कहा कि आलोच्य मूल अपील में पूर्व में भी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है। इस कारण एक ही प्रकरण को बार–बार पुनः नम्बर पर लिये जाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। प्रार्थीगण के अभिवचन असत्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। हमने अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा मण्डल की एकल पीठ द्वारा पूर्व में पारित निर्णय का अवलोकन किया। मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने अपील संख्या 3263/2010 जगन्नाथ वगैरहा बनाम श्योनाथ वगैरहा को आदेश दिनांक 24–8–2011 के द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया है। उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आलोच्य अपील को पूर्व में भी मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा अपने आदेश दिनांक 21–4–2010 द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है, जिसे पुनः जरिये बाजदायरी प्रार्थना पत्र द्वारा पुनः नम्बर पर लिया गया। यह सही है कि उनवानी अपील आक्षेपित आदेश से पूर्व भी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा की गयी बहस तथा प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों पर विश्वास किया जाना उचित पाया जाता है। आलोच्य अपील को पुनः नम्बर पर लिए जाने से पक्षकारान के मध्य भविष्य में और	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बाजदायरी/एलआर/1543/2012/जयपुर जगन्नाथ वगैरहा बनाम श्योनारायण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिक वाद बाहुल्यता को बढावा मिलने से रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उच्चतर न्यायालयों ने अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में यह व्यवस्था दी है कि किसी प्रकार को मात्र तकनीकी आधार पर खारिज करने के बजाय उसे गुणावगुण पर निस्तारित करने से पक्षकारान को भविष्य की कानूनी पेचीदिगियों से बचाया जा सकता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में हमारी विनम्र राय में प्रार्थीगण के कथनों पर विश्वास करते हुए हस्तगत बाजदायरी प्रार्थना पत्र को कॉस्ट अधिरोपित करते हुए स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र को रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार मात्र) कॉस्ट अधिरोपित करते हुए स्वीकार किया जाकर मण्डल में पूर्व में विचाराधीन अपील संख्या 3263//2010 बउनवान जगन्नाथ वगैरहा बनाम श्योनाथ वगैरहा जो कि दिनांक 24–8–2011 को निर्णित की जा चुकी है, को न्याय हित में पुनः नम्बर पर लिए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थीगण पर अधिरोपित की गयी उक्त कॉस्ट की राशि उनके द्वारा अध्यक्ष/सचिव जिला बार एसोसिएशन, जयपुर के कार्यालय में जमा कराने की प्रमाणित प्रति मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में उक्त उनवानी अपील में आगामी विचारण की कार्यवाही किया जाना सम्पादित करें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	